

माननीय श्रीमान राजस्व मण्डल महोदय, खण्डपीठ इंदौर मप्र

नगरानी प्र० क्र० /2013

R-1774-SBR/13

प्रस्तुती दिनांक : 15.4.2013

जानकीप्रसाद पिता रामनारायणजी कौशल,

आयु 72 वर्ष, पंथा कृषि,

निवासी ग्राम किशनगंज बगोवा, ते०महू, जिला इंदौर .. प्रार्थी/नगरानी-
कता, विरुद्ध

1. श्रीमती कलावतीबाई पति रामचंद्र,

उम्र 68 वर्ष, पंथा गृहकार्य,

निवासी ग्राम गुजरखेडा, ते० महू, जिला इंदौर,

2. श्रीमती सजनबाई पति रामप्रसाद,

उम्र 66 वर्ष, पंथा गृहकार्य,

निवासी पंचायत भवन के पीछे, ग्राम किशनगंज,

तेहसील महू, जिला इंदौर,

3. श्रीमती रामरतीबाई पति कैलाशचंद्र कौशल,

आयु 64 वर्ष, पंथा गृहकार्य,

निवासी ग्राम कण्डिलपुरा, इंदौर,

4. श्रीमती रज्जोबाई पति स्व० महेशचन्द्र कौशल,

उम्र 55 वर्ष, पंथा गृहकार्य,

निवासी देवपुरीकालोनी, गुजरखेडा, ते०महू, जि. इंदौर,

5. श्रीमती कुन्तीबाई पति राजेन्द्र,

उम्र 50 वर्ष, पंथा गृहकार्य,

निवासी ग्राम किशनगंज, ते० महू, जिला इंदौर,

6. श्रीमती ग्यारसीबाई पति आँकारलाल कौशल,

उम्र 48 वर्ष, पंथा गृहकार्य,

निवासी ग्राम किशनगंज, ते० महू, जिला इंदौर

जानकीप्रसाद

11 2 11

7. राकेश पिता स्व० रामनारायण कौशल,
उम्र 45 साल, धंधा कृषि,
निवासी ग्राम हरनिया खेडी, तै० महु, जिला इंदौर .. प्रार्थिकागण/
प्रत्यिकागण

11 निगरानी अंतर्गत धारा 50 म० प्र० भू० रट० सं० 11
=====

प्रार्थी/निगरानीकर्ता का सादर निवेदन है कि :-



श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, महु, डा० अम्बेडकर
नगर, इंदौर मप्र० श्रीमान कै० वी० एस० वौधरी के द्वारा
अपील प्र० क्र० 7/अपील/2011-12 कलावतीबाई व अन्य विरुद्ध राकेश
व अन्य में पारित आदेश दि० 21.3.2013 से दुखी व असंतुष्ट होकर
प्रार्थी ओ० से यह निगरानी निम्नानुसार सादर प्रस्तुत है कि :-

रत
हिता

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1774-पीबीआर/2013 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20-2-2019	<p>आवेदकपक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है । उभयपक्ष सूचित हो ।</p> <p> रीटर</p> <p> (मनीज गोयल) अध्यक्ष</p>	